रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 27—नवम्बर 2, 2012 (कार्तिक 5, 1934)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27—NOVEMBER 2, 2012 (KARTIKA 5, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

मुंबई, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. गैबैंपवि.नी.प्र. सं: 247/मुमप्र(यूएस)-2012--भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन तथा किसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर (एनबीएफसी-फैक्टर) में निवेशकों के हितों के लिए प्रतिकूल से या किसी भी ऐसी एनबीएफसी-फैक्टर के हित में हानिकारक ढंग से आयोजित किए जाने वाले मामलों की रोकथाम हेतु तथा फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा इसके आगे विनिर्दिष्ट एनबीएफसी-फैक्टर दिशा निदेश जारी किया गया है।

निदेशों का संक्षिप्त नाम तथा प्रयोग में लाना

1. (i) यह निदेश "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर (रिजर्व बैंक) निदेश, 2012" से जाने जाएंगे।

(ii) यह तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इन निदेशों के प्रारंभ होने के संबंध में किसी भी संदर्भ के लिए दिशा निदेश की तारीख को संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

2. दिशा निदेशों की प्रयोज्यता

फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष पंजीकृत प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर पर यह निर्देशों का प्रावधान लागू होगा।

3. परिभाषा

(i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011;

(ii) ''बैंक'' से अभिप्रेत है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक;

(iii) ''गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर (एनबीएफसी-फैक्टर)'' से अभिप्रेत है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झ के खंड (च) के तहत वर्णित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसका मूल कारोबार इन निदेशों के पैराग्राफ 6 में वर्णित है तथा जिन्हें अधिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है;

(iv) कंपनी से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनी।

(v) प्रयोग किया शब्द या अभिव्यक्ति किंतु यहां से परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम में परिभाषित है उसके लिए अधिनियम में दिया गया अर्थ अभिप्रेत होगा। कोई अन्य शब्द या अभिव्यक्ति जो अधिनियम में परिभाषित नहीं है उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में दिया गया अर्थ अभिप्रेत होगा।

4. पंजीकरण तथा उससे संबंधित प्रासंगिक बातें

(i) अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत फैक्टरिंग कारोबार करने की इच्छुक प्रत्येक कंपनी को बैंक से एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र (सीओआर) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।

(ii) मौजूदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो इन दिशानिदेश में निहित सभी शर्तों को पूरा करती हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर के रूप में वर्गीकरण परिवर्तन के लिए बैंक द्वारा जारी मूल पंजीकरण प्रमाण सहित इस अधिसूचना की तारीख से छः माह के अंदर उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकती है जहां वह पंजीकृत है। उनके अनुरोध उनके सांविधिक लेखापरीक्षक से संपत्ति और आय पैटर्न को दर्शाता हुआ प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए;

(iii) बैंक से गैर पंजीकृत संस्था फैक्टरिंग कारोबार कर सकती है यदि वह अधिनियम की धारा 5 में वर्णित संस्था हो तो; जैसे बैंक या पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल का अधिनियम के तहत गठित कोई कार्पोरेशन अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के तहत वर्णित सरकारी कंपनी।

(iv) नई कंपनी जिसे बैंक द्वारा बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो, बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के छः माह के अंदर कारोबार प्रारंभ करना होगा।

5. निवल स्वाधिकृत निधि

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर के रूप में पंजीकरण की इच्छा रखने वाली प्रत्येक कंपनी को न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रु. 5 करोड़ रखना होगा।

(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर के रूप में पंजीकरण की इच्छा रखने वाली मौजूदा कंपनियां किन्तु रु. 5 करोड़ न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि के मानदण्ड को पूरा नहीं करती है, को इसके अनुपालन हेतु आवश्यक समय सीमा के लिए बैंक से संपर्क कर सकती है।

6. मूल कारोबार

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी फैक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों में फैक्टरिंग के कारोबार से अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 75 प्रतिशत निर्माण करें और अपने फैक्टरिंग कारोबार से प्राप्त आय अपनी सकल आय का 75 प्रतिशत से कम न हो।

(ii) फैक्टरिंग कारोबार करने वाली बैंक से पंजीकृत मौजूदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो कुल संपत्ति/आय का 75 प्रतिशत से भी कम निर्माण करती हो, उन्हें इस अधिसूचना की तारीख से छः माह के अंदर, फैक्टर कंपनी बने रहने अथवा पूर्ण रूप से इस कारोबार से बाहर निकलने का आशय पत्र तथा इस संबंध में रोड मैप बैंक को प्रस्तुत करना होगा। तथापि ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त 6 (i) की आवश्यकता अनुसार परिसंपति/आय की उगाही करनी होगी अथवा इस अधिसूचना की तारीख से 2 वर्षों की समयावधि के अंदर फैक्टरिंग कारोबार बन्द करना होगा। उनके द्वारा आवश्यक परिसंपत्ति/आय प्रतिशत प्राप्त करने के बाद ही उन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

7. कारोबार संचालन

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर, अधिनियम तथा समय-समय पर अधिनियम के तहत निर्मित नियम और विनियमों के अनुसार फैक्टरिंग कारोबार करेंगे।

8. विवेकपूर्ण मानदण्ड

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर पर लोन कंपनी के अनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (गैर जमा स्वीकार करने या होल्डिंग) विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमा स्वीकार या होल्डिंग) विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007, जैसा भी मामला हो, का प्रावधान लागू होगा।

9. विवरणों की प्रस्तुति

पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए वर्तमान विनिर्दिष्ट के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरणियों की प्रस्तुति की जाएगी।

10. आयात/निर्यात फैक्टरिंग

भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) द्वारा फेमा, 1999 के तहत फैक्टर्स को प्राधिकृत करता है। इसलिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर विदेशी मुद्रा में आयात/निर्यात का कारोबार करने के लिए, फेमा 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण हेतु एफईडी के समक्ष आवेदन करना होगा और विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा निर्धारित सभी नियम और शर्तों और फेमा के तहत सभी संबंधित प्रावधानों और समय समय पर इसके अंतर्गत बनाये गए नियम, विनियम, अधिनियम, निदेश अथवा आदेश का अनुपालन करना होगा।

11. विविध

(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमा स्वीकार या धारण नहीं करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमा स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 के पैरा 15 के अनुसार सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की स्थिति के संदर्भ में सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यदि एफडीआई प्राप्त नहीं कर लिया गया है तो, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर के लिए, फैक्टरिंग अधिनियम की धारा 3 के तहत, ऐसे प्रमाणपत्र में प्रमाणपत्र धारण करने की आवश्कता दर्शायेगी। प्रमाण पत्र फैक्टरिंग परिसंपत्ति और आय, अधिनियम के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर के रूप में वर्गीकृत होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों का पूर्ण अनुपालन और न्यूनतम पूंजीकरण नियम का अनुपालन को भी दर्शायेगी।

(ii) अधिनियम के तहत इन निदेशों का गैर अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान है।

भवदीया

उमा सुब्रमणियम

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

चाय बोर्ड

कोलकाता, दिनांक 5 अक्तूबर 2012

सं. 23 (1)/स्था./2011--चाय बोर्ड, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 50 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फैक्टरी सलाहकार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित उप-विधि बनाता है और जिसकी पुष्टि केन्द्रीय सरकार द्वारा कर दी गई है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम चाय बोर्ड (फैक्टरी सलाहकार अधिकारी की भर्ती एवं सेवा शर्तें) उप-विधि, 2012 है।

   (2) ये उप-विधियां सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान--पद की संख्या, इसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान इन उपविधियों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि--भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. ज्येष्ठता--इन उप-विधियों के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी योग्यता सूची में सापेक्ष ज्येष्ठता द्वारा विनियमित होगी।

5. भारत के किसी भी भाग में सेवा दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें--(1) उपर्युक्त पद के लिए नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्वाधीन होंगे।

   (2) उन मामलों की बाबत जिनका इन उप-विधियों में काई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है, में उक्त पद पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की अन्य शर्तें वहीं होंगी, जो तत्समय केन्द्रीय सरकार में उनकी तत्स्थानी श्रेणी के अधिकारियों को लागू है।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति :--

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृति--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
फैक्टरी सलाहकार अधिकारी	22* (2012) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39,100 रू. ग्रेड वेतन 5400 रू.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
7	8	9	10	11
अनिवार्यः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक या विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन में इंजीनियरिंग अथवा कृषि इंजीनियरिंग (चार वर्षीय पाठ्यक्रम) की डिग्री । **वांछनीयः** चाय अथवा कॉफी बोर्ड में पंजीकृत चाय या कॉफी फैक्टरी अथवा सरकारी लाइसेंस-धारक खाद्य प्रसंस्करण या पैकेजिंग उद्योग में दो वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी (1) अध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष - चाय बोर्ड - सदस्य (3) चाय बोर्ड का कोई सदस्य - सदस्य (4) चाय विकास निदेशक, चाय बोर्ड - सदस्य (5) चाय विनिर्माण संबंधी कोई बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (2) चाय विकास निदेशक, चाय बोर्ड - सदस्य (3) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी चाय बोर्ड - सदस्य (4) सचिव, चाय बोर्ड - सदस्य	लागू नहीं

(एम.जी.वी.के. भानु)
अध्यक्ष

RESERVE BANK OF INDIA

(DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION)

Mumbai, the 23rd July 2012

No. DNBS.PD. No. 247/CGM(US)-2012—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Reserve Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of any Non-Banking Financial Company–Factor (NBFC–Factor) from being conducted in a manner deterimental to the interest of investors or in any manner prejudicial to the interest of such NBFC–Factors, and in exercise of the powers conferred under section 3 of the Factoring Regulation Act, 2011, hereby issues to every NBFC-Factor, the Directions hereinafter specified :—

Short Tittle And Commencement :

1. (i) These Directions shall be known as 'Non-Banking Financial Company–Factor (Reserve Bank) Directions, 2012'.

(ii) They shall come into force with immediate effect and any reference in these Directions to the date of commencement thereof shall be deemed to be a reference to the date of the Directions.

2. Applicability of the Directions

The provisions of these Directions shall apply to every Non-Banking Financial Company–Factor registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Factoring Regulation Act, 2011.

3. Definitions

(i) "Act" means the Factoring Regulation Act, 2011;

(ii) "Bank" means the Reserve Bank of India constituted under Section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934;

(iii) "Non-Banking Financial Company–Factor (NBFC-Factor)" means a Non-Banking Financial Company as defined in clause (f) of section 45-I of the RBI Act, 1934 which has its principal business as defined in para 6 of these directions and has been granted a certificate of registration under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(iv) Company means a company registered under Section 3 of the Companies Act, 1956;

(v) Words or expressions used but not defined herin and defined in the Act shall have the same meaning as assigend to them in the Act. Any other word or expressions not defined in that Act shall have the same meaning as assigned to them in the RBI Act, 1934;

4. Registration and Matters Incidental Thereto

(i) Every company intending to undertake factoring business shall make an application for grant of certificate of registration (CoR) as NBFC-factor to the Bank as provided under Section 3 of the Act;

(ii) Existing NBFCs that satisfy all the conditions enumerated in these Directions may approach the Regional Office where it is registered, along with the original CoR issued by the Bank for change in their classification as NBFC-Factor within six months from the date of this notification. Their request must be supported by their Statutory Auditor's certificate indicating the asset and income pattern;

(iii) An entity not registered with the Bank may conduct the business of factoring if it is an entity mentioned in Section 5 of the Act i.e. a bank or any corporation established under an Act of Parliament or State Legislature, or a Government Company as defined under section 617 of the Companies Act, 1956;

(iv) A new company that is granted CoR by the Bank as NBFC-Factor, shall commence business within six months from the date of grant of CoR by the Bank.

5. Net Owned Fund

(i) Every company seeking registration as NBFC-Factor shall have a minimum Net Owned Fund (NOF) of Rs. 5 Crore;

(ii) Existing companies seeking registration as NBFC-Factor but do not fulfil the NOF criterion of Rs. 5 crore may approach the Bank for time to comply with the requirement.

6. Principal Business

(i) An NBFC-Factor shall ensure that its financial assets in the factoring business constitute at least 75 per cent of its total assets and its income derived from factoring business is not less than 75 per cent of its gross income;

(ii) An existing NBFC registered with the Bank and conducting factoring business that constitute less than 75 per cent of total assets/income shall have to submit to the Bank within six months from the date of this notification, a letter of its intention either to become a Factor or to unwind the business totally, and a road map to this effect. However such NBFCs shall raise the asset/income percentage as required at 6(i) above or unwind the factoring business within a periof of 2 years from the date of this notification. They will be granted CoR as NBFC-Factors only after they reach the required asset/income percentage.

7. Conduct of Business

The NBFC-Factors shall condut the business of factoring in accordance with the Act and the rules and regulations framed under the Act from time to time.

8. Prudential Norms

The provisions of Non-Banking Financial (Non-deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007 or Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, as the case may be and as applicable to a loan company shall apply to an NBFC-Factor.

9. Submission of Returns

The submission of returns to the Reserve Bank will be as specified presently in the case of registered NBFCs.

10. Export/Import Factoring

Foreign Exchange Department (FED) of the Reserve Bank gives authorization to Factors under FEMA, 1999. Therefore, NBFC-Factors, intending to deal in forex through export/import factoring, should make an application to FED for necessary authorization under FEMA, 1999 to deal in forex and adhere to the terms and conditions prescribed by FED and all the relevant provisions of the FEMA or Rules, Regulations, Notifications. Directions or Orders made thereunder from time to time.

11. Miscellaneous

(i) In terms of paragraph 15 of the Non-Banking Financial (Non-Deposit accepting or holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007 and Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007 all NBFCs are required to submit Statutory Auditors' Certificate with reference to the position of the company as at the end of the financial year ended March 31 every year. For an NBFC-Factor, such Certificate will indicate the requirement of holding the certificate under section 3 of the Factoring Act. The certificate will also indicate the percentage of factoring assets and income, the compliance that it fulfils all conditions stipulated under the Act to be classified as an NBFC-Factor and compliance to minimum capitalization norms, if FDI has been received.

(ii) Non-compliance to the provisions of these Directions shall invite penal action under the Act.

UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager-in-Charge

3—299 GI/2012

TEA BOARD

Kolkata, the 5th October 2012

No. 23(1)/Estt./2011—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 50 read with sub-section (2) of section 50 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Tea Board hereby makes the following bye-laws as confirmed by the Central Government to regulate the method of recruitment to the post of Factory Advisory Officer, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These bye-laws may be called the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Factory Advisory Officer) Bye-Laws, 2012.

(2) There Bye-laws shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these bye-laws.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Seniority—The seniority of persons so recruited under these bye-laws shall be regulated by their relative seniority in the merit list.

5. Liability of service in any part of India and other conditions of service—(1) Officers so appointed to the above post shall be liable to serve anywhere in India.

(2) The other conditions of service of the persons appointed to the said post, in respect of matters for which no sepcific provision is made in these bye-laws, shall be same as are applicable for the time being to the officers of corresponding category, in service, in the Central Government.

6. Disqualification—No person,–

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that thee are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this bye-law.

7. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these bye-laws with respect to any class or category of persons.

8. Saving—Nothing in these bye-laws shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Factory Advisory Officer.	22* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs.5400.	Not applicable.	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not	Essential :- Degree in Engineering in Mechanical or Electrical or Electronics and Instrumentation or Agriculture Engineering (four year course) from a recognised University or Institution. Desirable :- Two years' experience in a tea or coffee factory registered with the Tea or Coffee Board or Government licensed food processing or packaging	Not applicable	Two years.	Direct recruitment	Not applicable.	Selection Committee consisting of:- (1) Chairman, Tea Board – Chairman; (2) Deputy Chairman, Tea Board – Member; (3) A member of the Tea Board-Member; (4) Director of Tea Development, Tea Board-Member; (5) An	Not applicable.

					the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.).	industry.					external expert on tea manufacturing - Member. Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- (1) Deputy Chairman, Tea Board – Chairman; (2) Director of Tea Development, Tea Board- Member; (3)Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board- Member; (4) Secretary, Tea Board- Member.	

(M.G.V.K.Bhanu)
Chairman, Tea Board

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012

MGIPF—[PART III—SEC. 4]—160 Copies